

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

अपहृता बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री अशोक राय प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “ अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत” श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द्र क्षेत्राधिकारी, बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री पंकज कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष थाना कोतवाली जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2021 धारा -363/366/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त/अपहृता के बारे में आज दिनांक 20.05.2021 को जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र अबु हसन साकिन मेचुका, थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर व अपहृता नादेपार चौराहें पर सड़क के बायें पटरी पर खड़े होकर वाहन का इन्तजार कर रहे हैं । कहीं जाने के फिराक में हैं । यदि जल्दी किया जाय तो मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हो सकती है । इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस टीम मय मुखबीर के तत्समय मौके की ओर प्रस्थान की । रास्ते में मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वादी मुकदमा मिले, जिनको साथ लेकर मुखबीर द्वारा दूर से ईशारे से बताये गये व्यक्तियों के पास पहुँचकर नियमानुसार नाम, पता पूछकर, तस्दीक करने के उपरान्त अभियुक्त अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र अबु हसन साकिन मेचुका थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार व अपहृता काल्पनिक नाम रेखा की सकुशल बरामदगी की गयी । गिरफ्तारी / बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता-

एजाज अहमद पुत्र अबु हसन साकिन मेचुका थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-उ0नि0 श्री भीम सिंह, थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- उ0नि0 श्री पवन कुमार , थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3-मुख्य आरक्षी रमेश यादव, थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- महिला आरक्षी रीना, थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया । इस क्रम में आज दिनांक 20-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 193 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 33,800/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

यातायात नियमों व लाकडाउन उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 20-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 246 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 61 वाहनों का चालान कर ₹ 60,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री अशोक राय प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “ अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत” श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द्र क्षेत्राधिकारी, बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री पंकज कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष थाना कोतवाली जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2021 धारा -363/366/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त/अपहृता के बारे में आज दिनांक 20.05.2021 को जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र अबु हसन साकिन मेचुका, थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर व अपहृता नादेपार चौराहें पर सड़क के बायें पटरी पर खड़े होकर वाहन का इन्तजार कर रहे हैं। कहीं जाने के फिराक में हैं। यदि जल्दी किया जाय तो मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हो सकती है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस टीम मय मुखबीर के तत्समय मौके की ओर प्रस्थान की। रास्ते में मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वादी मुकदमा मिले, जिनको साथ लेकर मुखबीर द्वारा दूर से ईशारे से बताये गये व्यक्तियों के पास पहुँचकर नियमानुसार नाम, पता पूछकर, तस्दीक करने के उपरान्त अभियुक्त अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र अबु हसन साकिन मेचुका थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार व अपहृता काल्पनिक नाम रेखा की सकुशल बरामदगी की गयी। गिरफ्तारी / बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

एजाज अहमद पुत्र अबु हसन साकिन मेचुका थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1-उ0नि0 श्री भीम सिंह, थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- उ0नि0 श्री पवन कुमार, थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3-मुख्य आरक्षी रमेश यादव, थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- महिला आरक्षी रीना, थाना को0 जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक:-20.5.2021 थाना लोटन

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक लोटन श्री राम अशीष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 20.5.2021 को ग्राम खीरीडीहा मे बच्चे को लेकर विवाद था तथा संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त तौकिल उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.तौकिल पुत्र हसन मोहम्मद ग्राम खीरीडीहा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

उप निरीक्षक नर्वदेश्वर यादव थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

कांस्टेबल मनीष कुमार गौड़

कांस्टेबल अरुण कुमार पांडे

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 20.05.2021

थाना खेसरहा पुलिस 07 नफर अभियुक्त को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर भेजा जेल

श्री अशोक राय प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री अरुण चन्द क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, श्री ब्रह्मा गौड़ प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.05.2021 को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 07 अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. उमेश कुमार पुत्र रामदेव साकिन मंझरिया थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर
2. हरिप्रसाद पुत्र वंशी साकिन मंझरिया थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर
3. ओंकार पुत्र हरीप्रसाद साकिन मंझरिया थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर
4. विवेकानन्द यादव पुत्र चिन्तामणि साकिन पेड़ारी वुजुर्ग थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर
5. दयानन्द पुत्र चिन्तामणि साकिन पेड़ारी वुजुर्ग थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर
6. सुरेन्द्र पुत्र जेसई साकिन पेड़ारी वुजुर्ग थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर
7. चिन्तामणि पुत्र जेसई साकिन पेड़ारी वुजुर्ग थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. SI श्री हरिओम कुशवाहा चौकी प्रभारी सकारपार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. HC त्रिपुरारी उपाध्याय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
3. HC रामनरेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 करुणेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
5. का0 अशोक कुमार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 20.05.2021 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में SO श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 20.05.2021 को अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शान्ति ब्यवस्था भंग करने की अंदेशा पर 02 अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 151,107,116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. तौहिर अहमद पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 22 वर्ष सा0 सीतारामपुर थाना मोहाना जनपद सि0नगर
2. आसिफ हकीम पुत्र अब्दुल हकीम उम्र 32 वर्ष सा0 बर्डपुर चौक थाना मोहाना जनपद सि0नगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि. श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे.का. राकेश कुमार यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक- 20.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्नाटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 20-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 246 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 61 वाहनों का चालान कर ₹ 60,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।